न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरांई(अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – **श्री खेमा राम यादव (R.A.S.)**

प्रार्थना पत्र संख्या – 102/2021

रामचन्द्र पुत्र किशना उम्र 45 साल जाति बैरवा निवासी गोठियाना, तहसील अरांई जिला अजमेर।

–प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र व अन्य
2. काली पुत्री रामचन्द्र
3. बन्नी पुत्री रामचन्द्र
4. मन्दराज पुत्री रामचन्द्र
5. रूकमा पुत्री रामचन्द्र
6. रसाल पुत्री रामचन्द्र
7. शैतान पुत्र रामचन्द्र
8. सुगनी देवी पत्नि रामचन्द्र समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम गोठियाना
9. ग्राम पंचायत गाठियाना जरिये सरपंच महोदय तहसील अरांई जिला अजमेर।
10. तहसीलदार महोदय तहसील अरांई जिला अजमेर राज.

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् नामान्तरण संख्या 2171 दिनांक 22.10.2020 को शून्य घोषित करने हेतु</u>

!! निर्णय !!

दिनांकः–21.02.2022

अपीलार्थी ने एक अपील जरिये वकील रामनिवास बैरवा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी किशना पुत्र धन्ना का जायन्दा पुत्र है तथा ग्राम गोठि[illegible] स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 79 रकबा 1.6342 हैक्टैयर में अपीलार्थी 1/96 हिस्से व खाता संख्या 453 कुल रकबा 4.4253 हैक्टैयर में अपीलार्थी1/48 हिस्से व खाता संख्या 606 रकबा [illegible]0063 हैक्टैयर में अपीलार्थी 1/48 हिस्से का व खाता संख्या 607 कुल रकबा [illegible]4351 हैक्टैयर में अपीलार्थी 1/48 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है। यह है कि ग्राम गो[illegible]ना तहसील अरांई में ही रामचन्द्र पुत्र किशना जो धुला का पौत्र था की भी आराजीयात खाता संख्या 208,209,452 स्थित थी जिसपर रामचन्द्र पुत्र किशना पौत्र धूला के निधन के बाद उक्त आराजीयात में विरासत का नामान्तरण संख्या 2171 दिनांक 15.10.2020 को भरा गया तथा 22.10.2020 को तस्दीक किया में शामिल करने से अपीलांट की खातेदारी की आराजी भी प्रतिवादीगण के नाम अंकित हो गई। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.01.16 16:30:34 IST
Reason: SelfAttested

गोठियाना द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 2171 दिनांक 22.10.2020 को निरस्त फरमाने की कृपा करावें ताकि अपीलार्थी को न्याय की प्राप्ति हो सके।

पत्रावली दिनांक 31.12.2021 को दर्ज कर रेस्पोडैन्टस को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 06.01.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे इसके कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 09 संरपंच गोठियाना उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह अपीलार्थी के सभी कथनों से सहमत है एवं यदि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर ली जाती है तो ग्राम पंचायत गोठियाना को कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 14.02.2022 को पैरोकार सरकार जवाब प्राप्त हुआ जिसके अनुसार ग्राम गोठियाना में रामचन्द्र पुत्र किशना पौत्र धूला उर्फ धूकल व रामचन्द्र पुत्र किशना पौत्र धन्ना जाति बैरवा नामक दो व्यक्ति निवास करते थे जिसमें से रामचन्द्र पुत्र किशना पौत्र धूला उर्फ धूकल की मृत्यु हो चुकी है तथा रामचन्द्र पुत्र किशना पौत्र धन्ना वर्तमान में जीवित है तथा अपीलार्थी है।

रामचन्द्र पुत्र किशना पौत्र धूला उर्फ धूकल की मृत्यु पश्चात विरासत का नामान्तरण खोला गया जिसमें सहवन से ग्राम गोठियाना के खाता संख्या 79,453,602,607 का नामान्तरण भी खोल दिया गया जबकि उक्त भूमि का खातेदार रामचन्द्र पुत्र किशना पौत्र धन्ना वर्तमान में जीवित है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नामान्तरण संख्या 2171 दिनांक 22.10.2020 को खाता संख्या 79, 453, 602, 607 को अपीलार्थी की हद तक शून्य फरमाया जावे और खाता संख्या 208,209 व 452 मृतक खातेदार से रामचन्द्र पुत्र किशना पौत्र धूला उर्फ धूकल जाति बैरवा के वारिसान के नाम दर्ज रखा जाना उचित होगा।

हमारे द्वारा पत्रावली को अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी व रेपोडैन्टस व तहसीलदार अरांई द्वारा पेश जवाब का अध्ययन किया गया। अतः तमाम सबूत व साक्ष्य एवं अपीलार्थी की बहस सुनने के बाद अपीलार्थी की अपील आशिंक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि नामान्तरण संख्या 2171 दिनांक 22.10.2020 को ग्राम गोठियाना स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 79, 453, 602, 607 को अपीलार्थी की हद तक शून्य घोषित कर राजस्व रिकार्ड अपीलार्थी का पूर्वानुसार अंकन करें। शेष खाता संख्या 208,209 व 452 में इन्द्राज बदस्तुर।

!! क्रियात्मक आदेश !!

अतः अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू.राज. अधि. 1956 आशिंक स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 2171 दिनांक 22.10.2020 को अपीलार्थी की हद ग्राम गोठियाना स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 79, 453, 602, 607 तक शून्य घोषित किया जाता है तहसीलदार अराई उक्त खातों में अपीलार्थी का पूर्वानुसार अंकन करें। शेष खाता संख्या 208,209 व 452 में इन्द्राज बदस्तुर। तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार कार्यवाही करें। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 21/02/2022 को लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी उप जिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

21/02/22

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.01.16 16:30:34 IST
Reason: SelfAttested